

क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils)

संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तों का वितरण किया जाता है। लेकिन यह भी जरूरी हो जाता है। इकाइयों को एक दूसरे से जोड़ा जाये। ताकि केंद्र व राज्यों के बीच झट-फूट की प्रक्रिया शुरू न हो सके। राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही। अतः नये राज्यों का निर्माण हुआ।

कुछ राज्यों व क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान (Special provisions for some states and areas)

हम देख चुके हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था स्थापित की गयी है। अतः केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियाँ का वितरण किया गया है। राज्य की सरकारों को अपने असाहित क्षेत्र में स्वायत्तता दी गयी है। केंद्र किसी संघ-शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम व जम्मू-काश्मीर प्रदेश बिहार व मध्य प्रदेश को काटकर क्रमशः उत्तराखण्ड, झारखण्ड व कर्नाटक के राज्य बनाये।

इमारा संविधान हमारे राष्ट्र का आच्चार स्तंभ है।

~~1950~~ 1950 में इसका उद्घाटन हुआ और तभी से यह चला आ रहा है। दुभाग्य की बात है कि शील्पा समय में इसके किमान्वयन में गिरावट आयी है। आज भारत को इसल वडा अन्य कोई आपश्च नहीं है कि यहाँ ईमानदार लोग हो जा देश के हित को आपने समझें।